

मंगलवार, 11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
एफडीआई के प्रवाह में गिरावट

1160. श्री एंटो एन्टोनी:

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार वार्षिक 100 बिलियन डॉलर के एफडीआई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीतियों में किसी सुधार पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ख) वित्त वर्ष 2024 में एफडीआई में पांच वर्ष के निचले स्तर तक गिरावट के क्या कारण हैं, और इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;
- (ग) रक्षा, बीमा और दूरसंचार जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में एफडीआई को उदार बनाने की दिशा में क्या प्रगति हुई है, और 2024 में एफडीआई के प्रवाह में उनका क्या योगदान है;
- (घ) क्षेत्रविशिष्ट बाधाओं को दूर करने और विशेष रूप से सेवाओं-, सॉफ्टवेयर और विनिर्माण में निवेश गंतव्य के रूप में भारत को आकर्षक बनाने के लिए क्षेत्रवार की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) एफडीआई लक्ष्य को प्राप्त करने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है और इस लक्ष्य की दिशा में प्रगति की निगरानी के लिए स्थापित तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

- (क) से (ङ) : सरकार सतत आधार पर एफडीआई नीति की समीक्षा करती है तथा समय-समय पर इसमें महत्वपूर्ण बदलाव करती है ताकि भारत का आकर्षक और निवेशक अनुकूल स्थल बने रहना सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि, सरकार एफडीआई अंतर्वाह के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है क्योंकि एफडीआई काफी हद तक निजी व्यवसाय के निर्णयों का मामला है। एफडीआई अंतर्वाह कई कारकों, जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, बाजार का आकार, अवसंरचना, राजनीतिक और सामान्य निवेश वातावरण के साथ-साथ व्यापक आर्थिक स्थिरता और विदेशी निवेशकों के निवेश निर्णयों पर निर्भर करता है।

भारत सरकार विनियामक बाधाओं को दूर करके, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, अवसंरचना को विकसित करके, लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाकर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ाकर व्यावसायिक वातावरण में सुधार करके अधिक एफडीआई आकर्षित करने का निरंतर प्रयास करती है।

देशभर में सुगम व्यापार विनियामक फ्रेमवर्क को और मजबूत करने तथा राज्यों को एफडीआई सहित निवेश आकर्षित करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हेतु प्रेरित करने के लिए विभिन्न पहलों की जा रही हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, संभावित निवेशकों को सकारात्मक व्यापार ईकोसिस्टम के उदाहरणों के साथ विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों

द्वारा किए गए लॉजिस्टिक्स कार्यनिष्पादन के बारे में बताने के लिए, भारत सरकार ने व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) 2024 रैंकिंग और विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज एक्सेस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स) 2024 रिपोर्ट जारी की।

क्षेत्र-विशिष्ट बाधाओं को दूर करने तथा सेवाओं, सॉफ्टवेयर और विनिर्माण में निवेश गंतव्य के रूप में भारत को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए भी क्षेत्रवार विभिन्न पहलें की गई हैं, जिनका विवरण अनुबंध में संलग्न है।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार नियमित आधार पर एफडीआई नीति की समीक्षा करती है ताकि इसे अधिक निवेशक-अनुकूल बनाया जा सके और देश में निवेश अंतर्वाह में व्यवधान उत्पन्न करने वाली नीतिगत बाधाओं को दूर किया जा सके। मौजूदा एफडीआई नीति फ्रेमवर्क के अंतर्गत एक निषेध सूची दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को छोड़कर, प्रभावी कानूनों/नियमों, सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन, स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई की अनुमति है। बेहतर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, गतिशील नवप्रयोग ईकोसिस्टम और व्यापार-अनुकूल वातावरण जैसे कारकों की भूमिका इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।

नए औद्योगिक लाइसेंस की अपेक्षा रखने वाली वाली कंपनियों के लिए रक्षा क्षेत्र में स्वतः अनुमोदन मार्ग से 74% तक एफडीआई की अनुमति है (पहले यह 49% थी)। इसके अलावा, दूरसंचार क्षेत्र में स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की क्षेत्रगत सीमा में संशोधन करके स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया। केंद्रीय बजट 2025 में भी बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई की क्षेत्रगत सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की गई। यह बड़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी, जो भारत में पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं।

भारत में एफडीआई अंतर्वाह वर्ष 2013-14 में 36.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और तब से इसमें वृद्धि हुई है। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 84.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अपना उच्चतम वार्षिक एफडीआई अंतर्वाह प्राप्त किया। भू-राजनीतिक संघर्षों और वैश्विक संरक्षणवादी उपायों के परिणामस्वरूप वैश्विक मंदी और आर्थिक संकट के खतरे के कारण इसमें थोड़ी गिरावट आई है। हालांकि, वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के दौरान, पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही की तुलना में एफडीआई अंतर्वाह में 26% की वृद्धि हुई है (अर्थात् यह 33.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 42.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है)। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में बीमा, दूरसंचार और रक्षा उद्योग की हिस्सेदारी क्रमशः 4.13%, 0.63% और 0.009% थी।

यह सक्रिय नीतिगत फ्रेमवर्क, गतिशील कारोबारी वातावरण और बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता द्वारा संचालित वैश्विक निवेश स्थल के रूप में भारत की बढ़ती अपील को

दर्शाता है। एफडीआई ने पर्याप्त गैर-ऋण वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराते हुए तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देकर और रोजगार के अवसर सृजित करके भारत के विकास में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है।

दिनांक 11.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1160 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्षेत्र-विशिष्ट बाधाओं को दूर करने तथा विशेष रूप से सॉफ्टवेयर, सेवा और विनिर्माण क्षेत्र के लिए निवेश गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण को बढ़ाने के लिए की गई पहलों का विवरण निम्नानुसार है:

1. सॉफ्टवेयर क्षेत्र :

सॉफ्टवेयर क्षेत्र में एफडीआई को आकर्षित करने के लिए, कर लाभ, अवसंरचना सहायता और विनियामकीय सुविधा उपलब्ध कराते हुए सॉफ्टवेयर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) स्थापित किए गए हैं। एसईजेड, आईटी और सॉफ्टवेयर विकास में विदेशी और घरेलू निवेश को आकर्षित करने के लिए कर प्रोत्साहन, आसान विनियम और विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे सरकारी सहायता प्राप्त प्रोत्साहनों के अलावा एसटीपीआई सॉफ्टवेयर विकास और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

2. सेवा क्षेत्र :

सेवा क्षेत्रों में बाधाओं को दूर करने के लिए, भारत में स्टार्टअप और नवप्रयोग ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए समन्वित प्रयास किए गए हैं। उदाहरण के लिए, स्टार्टअप में नवप्रयोग को प्रोत्साहित करने और निवेश को आकर्षित करने के लिए, सरकार ने वर्ष 2025-26 से सभी वर्ग के निवेशकों के लिए 'एंजेल टैक्स' को समाप्त कर दिया है। यह कदम, शुरुआती चरण की कंपनियों और उनके निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा को समाप्त करता है।

इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2025 में यह घोषणा की गई है कि स्टार्टअप के लिए सहायता बढ़ाने हेतु 10,000 करोड़ रुपये से एक नया निधियों का कोष (फंड ऑफ फंड्स) स्थापित किया जाएगा।

3. विनिर्माण क्षेत्र:

सरकार ने विकास को गति देने और भारत को वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। निवेश आकर्षित करने के लिए, विनिर्माण क्षेत्र में स्वतः अनुमोदन मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति है। वर्ष 2020 में शुरू की गई पीएलआई स्कीम, आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कार्यानीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए, भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये (26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) के परिव्यय से 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों की घोषणा की गई। इसके अलावा, मेक इन इंडिया पहल, भारत के अपने विनिर्माण परिदृश्य को नया आकार देने और अपनी वैश्विक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के प्रति दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की चल रही स्कीमों के अलावा, सरकार ने सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में विनिर्माण के योगदान को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन उपायों में सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) और क्यूसीओ (गुणवत्ता नियंत्रण आदेश) आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा की गई पहलों ने विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी

अंतर्वाह में 69% की वृद्धि का योगदान दिया है, जो वर्ष 2004-2014 के 98 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2014-2024 में 165 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
